हम, नगर निगम लखनऊ, लखनऊ एवम्

....

....

....आज दिनांक..को आगे

उल्लिखित/प्रिन्टेड शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन एक फी होल्ड डीड को निष्पादित करते है एवं रू0..................................की स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान "इन स्टैम्प पत्रों के माध्यम से" कर चुके है, जो विलेख के साथ संलग्न है।

विलेख तैयार कर्ता
एस0डी0सी0

नगर निगम लखनऊ, लखनऊ

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी),पारा

1. प्रस्तुति दिनांक :

2. निष्पादन दिनांक :

3. विक्रेता का नाम : नगर निगम लखनऊ,लखनऊ

4. क्रेता का नाम :..

—:लेख—पत्र का संक्षिप्त विवरणः—

1— भू—प्रयोग :

2— योजना :

3— सम्पत्ति का विवरण :

4— सम्पत्ति संख्या : फ्लैट संख्या.................................
(...तल)

5— फ्लैट निर्मित क्षेत्रफल (कवर्ड एरिया) : ....वर्ग मीटर

6— सड़क की स्थिति : ....मीटर चौड़ी सड़क

7— निर्माण की अवधि : नवनिर्मित

<u>सम्पूर्ण भवन की चतुर्दिक सीमायें</u>

पूरब

पश्चिम

उत्तर

दक्षिण

<u>विक्रीत फ्लैट की चतुर्दिक सीमायें</u>

पूरब

पश्चिम

उत्तर

दक्षिण

–:अन्य विवरणः–

1. फ्लैट का विक्रय मूल्य : रू0...
2. ब्याज : रू0...
3. कुल योग : रू0.......................................

(रू0...

...........................मात्र)

(आवंटी को कब्जा दिये जाने का प्रस्ताव इस विलेख के निष्पादन से पूर्व नही किया गया है, वास्तविक कब्जा इस विलेख के निष्पादन के बाद हस्तांतरित किया जायेगा। अतः स्टैम्प शुल्क की अदायगी उ0प्र0 शासन, कर एवं निबन्धन अनुभाग–7 के शासनादेश सं0–का0नि0–7–440/11–2015–700(111)/13 लखनऊ दिनांक 30 मार्च 2015 के अन्तर्गत कियाजा रहा है।)

नोट :– क्रेता द्वारा फ्लैट की कुल कीमत..................................पर मुबलिग.......................... का स्टाम्प अदा किया गया है।

—:विक्रय—विलेख:—

यह विलेख नगर निगम, लखनऊ जरिये ....(जिसे इस विलेख में "विक्रता/नगर निगम लखनऊ) कहकर सम्बोधित किया गया है, जिसके अर्थ में उनके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि व स्थानापन्न आदि सम्मिलित होंगो।

एवं

....

....

जिसे इस विलेख में आगे "क्रेता" कहकर सम्बोधित किया गया है जिसके अर्थ में उनके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि व स्थापन्न आदि सम्मिलित होंगे।
नगर निगम लखनऊ के सभी नियम व शर्तो का अनुपालन कर समस्त औपचारिकतायें

पूर्ण हो चुकी है। अतः विलेख निष्पादित किये जाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।

अतः यह विलेख निम्नलिखित शर्तों के अधीन दोनों पक्षकारों के मध्य निष्पादित किया गया।

1. यह कि विक्रेता ने अपने स्वामित्व वाले फ्लैट संख्या ए 8/304 जो कि तृतीय तल पर स्थित है, जिसका पूर्ण विवरण व चतुर्दिक सीमायें इस विक्रयपत्र के प्रारम्भ से ऊपर वर्णित हैं, तथा जिसे संलग्न मानचित्र में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है व अन्य शामिल शरीक सुविधाओं जैसे कामन पैसेज, स्टेयर केस, शामिल प्रवेश मार्ग व अन्य सभी कामन सुविधाओं सहित समस्त प्रकार के बार व भारों से मुक्त, क्रेता को बकीमत मुबलिग रू0............
..................(रू0.......................................मात्र)
प्राप्त कर विक्रय कर दिया तथा क्रेता को विक्रीत सम्पत्ति का कब्जा व दखल वाकई अपनी भॉति पूर्णतया खाली रूप से प्रदान कर दिया। क्रेता आज से विक्रीत सम्पत्ति का पूर्णरूपेण मालिक व स्वामी हो गया है।

2. यह कि क्रेता को यह भी अधिकार है कि वह विक्रयपत्र के आधार पर अपना नाम बतौर मालिक, काबिज कागजात सरकारी में या जहॉ कहीं भी आवश्यकता हो दर्ज करवा ले। विक्रेता की रजामन्दी व सहमति इस विलेख के माध्यम से दी जा रही है, परन्तु इसमें आने वाले खर्चों को क्रेता स्वयं वहन करेगा। क्रेता विक्रीत सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त प्रकार से हाउस टैक्स, सीवेज हैक्स व अन्य सभी प्रकार के राजकीय करों आदि की अदायगी नियमित करता रहेगा।

3. यह कि उक्त बहुमंजिला बिल्डि़ग के छत सम्बन्धी अधिकार किसी को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नही होंगे तथा उसे कॉमन एरिया की भॉति अनुमन्य नियमानुसार प्रयुक्त किया जा सकेगा।

4. यह कि क्रेता इस बात के लिये रजामन्द है कि वह उक्त आवासीय भवन के सम्बन्ध में नगर निगम लखनऊ,जलकल विभाग लखनऊ अथवा अन्य

किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी या स्वायत्तशासी संस्थान के द्वारा लगाये जाने वाले सम्स्त करों आदि को इस विक्रय विलेख के बाद से अदा करेगा तथा वह उक्त भवन की शामिल शरीक सुविधाओं वाले स्थानों के रख–रखाव का खर्च भी आनुपातिक रूप से अदा करेंगे।

5. यह कि क्रेता को उक्त फ्लैट, उ0प्र0 फ्लैट एक्ट के तहत विक्रय किया गया है तथा क्रेता ने उक्त फ्लैट के निर्माण व निर्माण सामग्री आदि के सम्बन्ध में पूर्ण संतुष्टि कर ली है, तथा क्रेता ने उक्त सम्पत्ति के हर प्रकार से दोषमुक्त बन्धन मुक्त व विवाद मुक्त होने का विश्वास व इत्मीनान कर लिया है।

6. यह है कि क्रेता का यह दायित्व होगा कि वह अन्य फ्लैट मालिकों के साथ एक आर0डब्लू0ए0 समिति गठित करकेय समस्त मेन्टीनेन्स के दायित्वों का भार समानुपातिक आधार पर वहन करे और किसी तरह का कोई व्यवधान, गतिरोध उत्पन्न नहीं करेगा तथा क्रेता फ्लैट में कोई ऐसा कार्य व निर्माण व तोड़–फोड़ नही करेंगे जिससे भवन को किसी तरह की क्षति पैदा हो व अन्य फ्लैट स्वामियों को किसी प्रकार की असुविधा हो और न ही कोई ऐसा कार्य करेगा जो समाज की दृष्टि में अनैतिक व कानून की दृष्टि में अपराध की श्रेणी में आता हो।

7. यह कि क्रता को पूर्ण अधिकार है कि वह विक्रीत सम्पत्ति में अपना पृथक विद्युत, इंटरनेट कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन आदि उक्त फ्लैट में लगवा लें।

8. यह कि विक्रेता ने उक्त आवासीय भवन के समस्त क्रेताओं की सुविधा के लिये स्टेयर, स्टेयरकेस, ओवर हेड टेंक, पानी चढ़ाने हेतु पम्प, विद्युत व्यवस्था (कामन एरिया के लिये) बोरिंग, सीवर लाइन, मुख्य पाइप लाइन, विद्युत वायरिंग व शामिल शरीक स्थानों के समुचित प्रयोग किये जाने हेतु समस्त आवश्यक उपकरण उक्त भवन में संस्थापित किये है, जिन्हें शामिल रूप से उपयोग व उपभोग करने का अधिकार क्रेता सहित अन्य सभी क्रेताओं को भी होगा, परन्तु कोईस भी व्यक्ति किसी भी सम्मिलित

उपयोग व उपभोग की जाने वाली वस्तुओं या स्थान पर अपने स्वामित्व का दावा कभी भी करने का अधिकारी नही होगा।

9. यह कि क्रेता उक्त विक्रीत सम्पत्ति को न तो कभी किसी समय गिरायेंगे और न ही गिराये जाने के कारण उत्पन्न करेंगे और न ही उसकी क्षति कारित करेंगे और न ही उसमें अतिरिक्त निर्माण करायेंगे और न ही उसके यथास्थिति निर्माण में कोई रद्दोबदल या बदलाव करेंगे और न ही उसके स्थाई स्वरूप में परिवर्तन करेंगे, क्रेता उक्त भवन के शामिल शरीक इस्तेमाल के स्थानों, रास्तों, बरामदों, बालकनी, जीना कारीडोर पर कोई उवरोध उत्पन्न नहीं करेगे और न ही कूड़ा करकट आदि फेंकेगें और न ही कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे उक्त भवन के अन्य लोगों को किसी तरह की कोई असुविध हो।

10. यह कि प्रत्येक आन्तरिक दीवार जो विभाजक दीवार होगी, दोनों भागों के मालिकानों की शामिल दीवार होगी।

11. यह कि विक्रयपत्र का समस्त खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जा रहा है। यदि स्टाम्प शुल्क आदि में कोई कमी पायी जाये तो उसकी अदायगी की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।

12. यह कि विक्रय पत्र की बाध्यता, विक्रेता तथा क्रेता एवं उनके उत्तराधिकारियों आदि पर भी होगी।

13. यह कि विक्रीत सम्पत्ति पर यदि कोई सर्विस टैक्स या अन्य कोई देनदारी है, तो देनदारी को कोई सरोकरार नही होगा।

14. यह कि फ्लैट का कब्जा क्रेता, विक्रेता से नियमानुसार ले लेगा, यदि क्रेता कब्जा नही लेता है, तो प्राधिकरण नियमानुसार चौकीदारी शुल्क वसूलने का अधिकार होगा।

16. यह कि किसी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ का निर्णय अन्तिम होगा।

17. यदि आवंटित फ्लैट का कब्जा देने में अर्जन सम्बन्धी अथवा न्यायालय प्रक्रिया के कारण अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारणों से किसी प्रकार का विलम्ब हाता है अथवा बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नही दी जायेगी। ऐसी दशा में आवंटी को जमा धन बिना कटौती के वापस कर दिया जायेगा।

18. यह कि परिसर का नाम सदैव "पारा आवास अ" ही रहेगा तथा इसे परिवर्तित करने का अधिकार क्रेता को भी नही होगा।

अतएव पक्षकारों ने अपने–अपने स्वस्थ मन बुद्धि एवं मस्तिष्क व इन्द्रियों की सही दशा में अपने–अपने हितैषियों, कानूनी सलाहकारों से राय, मशविरा, बिना किसी जोर दबाव या लालच के समक्ष गवाहान इस विक्रयपत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर स्वीकृति रूवरूप उपरिवर्णित दिनांक माह व सन को कर दिये ताकि प्रमाण स्वरूप समय पर काम आये।

क्रेता

विक्रेता के लिये एवं उसकी
ओर से प्राधिकृत अधिकारी

<u>साक्षीगणः–</u>

1– हस्ताक्षर...

नाम...

फोटो

पिता/पति का नाम...................................

पता...

मोबाइल नम्बर..

2– हस्ताक्षर...

नाम...

फोटो

पिता/पति का नाम...................................

पता...

मोबाइल नम्बर..

विलेख सं0.. वर्ष..

सम्पत्ति का फोटो

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी),पारा, लखनऊ

नगर निगम, लखनऊ।

मकान नं0 / फ्लैट नं0..............................श्रेणी.................................क्षेत्रफल.......................................
............वर्गमीटर....................................

सम्पत्ति स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी),पारा, लखनऊ

लखनऊ।

क्रेता...

ह0 विक्रेता

ह0 क्रेता